The Shri Venkateshwara University Uttar Pradesh Act, 2010

Act 26 of 2010

Keyword(s):<br>Institution, Records and Publication, Teacher of the University, Treasurer, Registrar, Trust

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.


# खरकारी गणन उत्रा मदेश 

## उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-1, खण्ड (क)
(उत्तर प्रदेशे अधिनियम)
लखनऊ, मंगलवार, 12 अक्टूबर, 2010
आश्विन 20, 1932 शक सम्वत्
उत्तर प्रदेश सरकार
विधायी अनुभाग-1
संख़्यां 1106/79-वि-1-10-1(क)22-2010
लखनऊ. 12 अक्टूबर. 2010
अधिसूंचना
विविध
"भारत का संविधान" के अनुंच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने श्री वेंकटेश्वरा विश्वविंद्यालय ऊुत्तर प्रदेश विधेयक. 2010 पर दिनांक 09. अक्ट्बूरे, 2010 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 26 सन् 2010 के रूप. में सर्वसाधारण की सूंचनार्थ इस अधिसूचना द्वारां प्रकाशिंत किया जाता है:-

श्री वेंकटेश्वरा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2010
उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 26 सऩ 2010
(जैसा उत्तर प्रदेश विधान. मण्डल द्वारा पारित हुआ)
श्री वॉके बिहारी एजूकेशनल एण्ड वेलफेंयरं ट्रस्ट, मेरठ, उत्तर प्रदेश द्वारां प्रायोजित एक अंध्यापन विश्वविद्यांलय स्थापित करने और उसको निगमित करने `और उससे सम्बन्धित आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिये

अधिन्नियम
भारत यणराज्य के इकसटवें वर्ष में निम्ऩलिखिंत अधिनेयम बनाया जाता है :-
1 यह अधिनियम. श्री वेकटेश्वरा विश्वविध्धालंय उत्तर प्रदेश अधिनियम. 2010 कहा संधिष्द नाम जायेगा।

2- जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो. इस अधिनियम में :-
(कं) "विद्यापरिषद" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के विद्यापरिषद से है :
(ख) "बोंर्ड" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के अध्ययन वोर्ड और नियोजन वोर्ड या अन्य किसी वोड्ड रे है:
(ग) "कुलाधिपति", "प्रतिं-कुलाधिपति" "कुलपति"' और "प्रति-कुलपति" का तात्पर्य विश्वविद्धालय के क्रभशः कुलाधिपति, प्रति कुलाधिपतिं. कुलपति और प्रति-कुलपति से हैं:
(घ) "सभा" का तात्पर्य विश्वविद्यालय की सशा से है;
(ङ) "निदेशक/प्राचार्य" का तात्पर्य किसी संस्था. महाविद्यालय. केंद्र्र और स्कूल. के प्रधान या उसकी अंुुपस्थिति में इस रूप में कार्य करने के प्रयोजन हेतु नियुक्त व्यक्ति से है
(च) "विभाग" का तात्पर्य अध्ययन विभाग से है और उसके अन्तर्गत अध्धयन और अनुसंधन केन्द्र भी है;
(छ) "कर्मचारी" का तात्पर्य विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति से है और जिसमें विश्वविद्यालय के अंध्यापक या कर्मचारी वर्ग के अन्य सदस्य सम्भिलित है; .
(ज) "कार्यपरिषद" का तात्पर्य विश्वविद्यालय की "कार्य परिषद" से है;
(झ) "विद्यमान महाविद्यालय" का तात्पर्य ऐसे महाविद्यालय या संस्था से है जो व्यावसायिक शिक्षा प्रदांन करता है तथा जिसे विश्वविद्यालय में विलयन करना. उसक़े द्वारा चलाना तथा अनुरक्षित करना प्रस्ताविंत है;
(अ) "संकाय" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के संकाय से है:
(ट) "छात्रावास" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के. शोधार्थी / छात्रों के छात्रावास से है;
(ठ) ."संरथा" "महाविद्यालय" का तात्पर्प विद्यमान महाविद्यालय सहित ऐसे महाविद्यालय या संस्था से है जो इस अधिनियम और परिनियमावली के अनुसांर विश्वविद्यालय द्वारा रथापित या अनुरक्षित या उससे सहयुक्त हो या उसका संघटक हो;
(ड) "विहित" का तात्पर्य परिनियमों द्वारा विहित से है:
(ढ) "अभिलेखों और प्रकाशन" का तत्प्पर्य विश्वविद्यालय के अभिलेखों और प्रकाश़न से है;
(ण) "परिनियमों और "अध्याद्शें". का ततात्पर्य तत्समय प्रवृत्त विश्वविद्यालय के क्रमशः परिनियमों और अध्यादेशों से है;
(त) "छात्र" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के रजिस्टर में दर्ज किसी छात्र से हैं;
(थ) "विश्वविद्यालय के अध्यापक" का तात्पर्य आचार्य. सहआचार्य. उमाचार्य. सहायक आचार्य. प्राध्यापक और ऐसें अन्य व्यक्तियों से है जिन्हें विश्वविद्यालय में शोध संचालित करने सम्बनित शिक्षा $/$ अनुदेश प्रदान करने के लिये नियुक्त किया जाये और अध्यादेशों द्वारा अध्यापक के रूप में पदाभिंहित किया जाय:
(द) "कोषाध्यक्ष". "कुलसचिव". "उप कुलसचिव", "वित्त अधिकरी". "परीक्षा नियंत्रक", "पुस्तकालयाध्यक्ष" या "कुलानुशासक" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के क्रमशः कोषाध्यक्ष. कुल़सचिव. उप कुलसचिव, वित्त अधिकारी. परीक्षा नियंत्रक, पुस्तकालयाध्यक्ष या कुलानुश़ा़सकं से है.
(घ) "दर्रस"' का तात्पर्य भारतीय न्यास अधिनियम 1882 के अधीन पंजीकृत श्री बॉके विहारी एंजूकेशन एपड वेलफेयर द्रस्ट. 208 ए. साकेता मेरठ से है;
(न) "विश्वविद्यालय" का तात्पर्य अधिनियम की धारा-3 के अधीन स्थांपित शी. वेंकटेश्वरा विश्वविद्यालयं उत्तर प्रदेंश से है :

3-(1) गजरौला. ज्योतिबाफूलेनगर, उत्तर प्रदेश $\cdot$ में. ट्रस्ट द्वारा श्री वेंकटेश्वरा विश्वविद्यालय. उत्तर प्रदेश के नाम से एक विश्वविद्यालय की स्थापना की जायेंगी।
(2) विश्वविद्यालय एक निगमित निकाय होगा।
 करने के प्रयोजनों से निम्नलिखित शर्ते पूरी करेगी. अर्थात :-
(क) विश्वविद्यालय के लिए चिन्हिंत न्यूनतम 50 एकड परसपर सटी हुयी भूमि का समुचित स्वामित्व हो
(ख) खण्ड (क) में लिर्दिष्ट भूमि पर कम से कम 24000 वर्ग मीटर कारपेट एरिया में भवन निंर्भाण करेगी जिसमें से न्यूनतम 50 प्रतिशत शैक्षिक और प्रशासनिक प्रयोजनों के लिये होगा।
(ए.) खण्ड (ख) में निर्दिप्ट भवन में कार्यालय़ और प्रयोगशालाओं में न्यूनतम पॉच करोड़ रूपये मूल्य के उपस्कर की प्रतिष्ठापना ;
$\because$ (घ) विश्ववविद्यालयं अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित मानंकों के अनुसार कम से कम सात विчयों में शिक्षण और/अथंवा अ्नुसंधान के प्रयोजनों के लिये विभाग/विद्यालय के अध्यापकों की नियुक्ति करना और अवस्थापना सुविधाओं कीं स्थापना करना ;
(ड.) विश्वविद्यालयः के प्रशासनं और संचालन के लिये परिनियम और अध्यादेश का बनाया जाना :
(च) ऐसी अन्य शर्ते, जिनको विश्वविद्यालय की स्थाप्पऩा के पूर्व पूरी. किये जाने की अपेक्षा राज्य सरकार द्वारा की जाय :
5-(1) राज्य सरकार द्वारां विश्वविद्यालय के संचांलन के प्रारम्भ के लिये ट्रस्ट को प्राधिकार पत्र जांरी किये जाने के पश्चात ही विश्वविद्यांलयं प्रचालन आरम्भ करेगा।
(2) राज्य संरकाए. ट्रस्ट से प्राप्त इस आशय के दस्तावेजों सहित कि. धारा 4 में निर्दिष्ट सभी शत्ते पूरी कर ली गई है. संबंधित असंदिंग्ध शपथ पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही प्राधिकार पत्र जारी करेगी।

6-विश्वविद्यालय का-उद्देश्य विद्या की ऐसी शाखाओं में जिसे विश्कविद्यालय उचित समझे, अनुदेश. अनुसंधान और विस्तारें सम्बन्धी सुविधिाओं. की. व्यवस्था. ज्ञान का प्रसार और अभिवृद्धि करना होगा और विश्वविद्यालय छात्रों और अध्योापकों को निम्नलिखित क़ी अभिवृद्धि के लिये आवश्थक वातावरण और सुविधायें प्रदान करने का प्रयास करेगाए :-
(क) शिक्षा में अभिनवीक़रण कऱना जिससे पाठ्यकमों की पुनसंरचना अध्यापन, प्रश़िक्षण और ज्ञानार्जन जिसमें ऑनलाईन ज्ञानार्जन, मिश्रित ज्ञानार्जन: निरन्तर शिक्षा और ऐसे अन्य रूप भी है. की नवीन पद्धति और व्यक्तित्व के समग्र और स्वस्थ विकास का मार्ग प्रशंस्त हो सके :
(ख) विशिन्न शाखाओं में अध्ययन
(ग) अन्तर्शांखीय अध्ययंन :
(घ) राष्ट्रीय एकीकरणा: धर्गनिरपेक्षता. सामाजिक समरसता और अन्तर्राष्ट्रीय सदभंभव़ एवं नैतिकता की अंत:किया.

7 विश्वविद्यालय की निग्नलिखिंत शक्तिया होंगी. अ़र्थात:-
(क) विद्या की ऐसी शाखां में जिनहें विश्वविद्याललय समय-समय पर अवधारित करें, शिक्षण की व्यवरथा करना और अनुसंधान के लिये तंथा ज्ञान और कौशल की अभिवृद्धिं और प्रसार के निमित्त व्यवस्था करना ;
(ख) विज्ञान, अभियांत्रिकी. प्रौद्योगिकी. जैव एवम् च़िकित्सा विज्ञान, दन्त चिकित्सा विज्ञान. फार्मेसी. प्रबन्धन, होटल एवम् सत्कार प्रबंन्धन.: विधि एवम् अन्य व्यावसायिक पाठ्यकमों इतिहास., संस्कृति. वाणिज्य, अर्थशास्त्र, मानव विज्ञान. दर्शन शास्त्र, कलां इत्यादि विषयों हेतु परिसर में. परिसर से बाहर, परिसर सें दूर और उपप्रह केन्द्रों या केन्द्र संचालित करने अथवा दूरस्थ शिक्षा कार्यकमों के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना और उनकी अभिवृद्धि करना :
(ग) शिक्षाविदों एवं प्रख्यात़ अध्यापकों को प्रोफेसर ऐभिरिट्स कें, अलंकरण सें सम्मानित करना .
(घ) ऐसी शारो के अंधीन रहतें हुये जिन्हे विश्वविद्यांलयं अववधारित करें. व्यक्तियों को परीक्षा. भूल्यांकन यां परीक्षण की किसी अन्य पद्धति के आंधार पर ड़िप्लोमा या प्रमाण-पत्र एवम् उपाधि या अन्य शैक्षगिक विशिष्टितायें प्रदान' करना और उचित्त और पर्याप्त कारणों से ऐसे डिप्लोमा. प्रमाण पत्रों: उपाधियों और शैध्रणिक विशिष्टताओं हा वापस लेना -

विश्वविद्यालय की स्थापना.

विश्वविद्यालय की स्थापना़ के लिए शर्ते

## विश्वावधालय का

 आरम्भ
## विश्वाविद्यालय का

 उदद्देश्य.विश्वावेद्यालय की शक्तियों
(ङ.) विहित रीति से भानद उपाधियाँ या अन्य विशिष्टताएं प्रदन करन्ना
(च) ऐसे व्यक्तियों को, जो विश्वविद्यालय के सदस्य नहीं है. को शिक्षण तथा प्रशिक्षण प्रदान करना जिसके अन्तर्गत पत्राचार और ऐसे अन्य पाठ्यक्भ भी सम्मिलित है।
(छ). विश्वविद्यालय द्वारां अपेक्षित डायरेक्टर पद. प्राचार्य पद. आचार्य पद. सुह-आचार्य पद/उपाचार्य पद. सहायक आंचार्य / प्राध्यापक पद और अन्य अध्थापन का शैक्षणिक पद संस्थित क्रना और उनके लिये नियुक्तियॉँ करना :
(ज) प्रशासकीय़ लिपिक वर्गीय और अन्य पदों का सृजन करना तथा उन पर नियुक्तियॉँ ररना ;
(अi) किसी अन्य विश्वविध्यालय या संगठन में कार्यरत ऐसे व्यक्तियों. जिन्हें विशिष्ट ज्ञान خे. को सथाधी रूप से या किंसी विंगाधिंद्ध अवधि के लिये नियुक्त करना या उन्हें काम पर वगाः
(अ) : किसी अन्य विश्वविद्याज: यां देश/विदेश की स्रििकरण या संस्थ से ऐसी रीति से
 उनको संहयुक्त करना :
(ट) अनुसंधन और शिक्षा के लिये विद्यालयों, केन्द्रों विशिष्ट्टीकृत प्रयोगशालाओं या अन्य ंकाईयों की स्थापना और अनुरक्षण करना जो विश्वविद्यालय की •ग में उसके उद्देश्य को प्रग्रसर करों के लिये आवश्यक हो :
(ठ) अध्येयतावृत्तियों, छात्रवृा्तियों. विद्यावृत्तियों, पदक और पांरितोषिकों को संस्थित करना और उन्हें प्रदान करना :
'(ड) विश्वविद्यालय के अन्तर्गत आवारों. छात्रावासों की स्थापना. अनुरक्षण तथा उनंका पर्यवेक्षण 'करना तथा छात्रों एवम कर्मचारिंयों के स्वास्थ्य और सामान्य कल्याण.. क़ल्य्याणकारी क्रियाक्लापों के लिये प्रोत्साहित करना :
(ढ) अनुसंधान और सलाहकार सेवाओं के लिंये उपबन्ध करना और उक्त प्रयोजन के लिये अन्य संस्थाओं या इकाइयों के साथ ऐसी व्यवस्था में सम्मिलित होना जैसा विश्वविद्यालय आवश्यक समझे।
(ण) परिनियमों के अनुसार यथास्थिति केंन्द्र, सुंस्था विभाग या विद्यालय की घोषणा करना:
(त) विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिये. मानक निर्धारितं करना जिनके अन्तर्गत परीक्षा पूल्यांकन या परीक्षण की कोई पद्धति. हो सकती है।
(थ) फीस और अन्य प्रभारों की मांग करना और उनका भुग्तान प्राप्त करना.
(द) महिलाओं एवं अन्य वंचित छात्रों के सम्बन्ध में विशेष व्यवस्था करना जैसा विश्वविद्यालेय वांछनीय समझे ;
(ध) ' विश्वविद्यालय के कर्मचारियों और छात्रों मे अनुशासन विनियमित करना और उसका प़ालनं करना. और इस सम्बन्ध में ऐसे अनुशासनिक उपाय करना जैसा विश्वविद्यालय. द्वारा आवश्य़क समझ़ा जाय :
.(न). विश्वविद्यालय के कर्मचारियों स्वास्थ्य और सामान्य कल्याण के सम्वर्द्धन के लिये व्यवंस्था क़रना :
:. (प) विश्वविद्यालय के कल्याण के लिये दान प्राप्त करना और किसी चल या अचल सम्प्ति का अर्जन, धारण, प्रबन्ध और निपटारा कर्मां:
(फ) विश्वविद्यालय के प्रयोज़नों के लिये ट्रेस्ट के अनुमोदन से विश्वविद्यालय की सम्पत्ति की प्रतिभूति पर धनराशि उधार लेना या उ़से. बंध़के रखेना या आड़मानकृत करना :
(a) ' संविदा ख़ा अन्य किसी आधाऱ पर ऐसें. अध्याग़त आचांर्यो, प्रतिष्ठित आचार्यो. परामर्शियों.अध्येताओं, विद्धानों, कलाकारों. पांट्यकमां लेंखों और ऐसे अन्य व्यक्तियों को नियुक्त करना जो विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को अग्रसंर. करेने, में योगदान प्रदान कर सके:
(भ) व्याख्यानादि का अध्ययन और प्रसार सेवा का आयोज़ंन करना और जिम्मा लेना ;
(म) . ऐसे अंन्य समस्त कार्य और कृत्य करनां जो विश्वविद्यालय के सभी या

किन्हीं उद्देदेश्यों की प्राप्ति के लिंये आवश्यक आनुषंगिक या सहायक हों।
8.- (1) चिभिःन श्रेक्षिक कार्यकमों में प्रवेश तत्समय प्रवृत्त विधियों के अनुसार किये जायेंगें। प्रदेश और मानक
(2) विश्वविद्धालय यह सुनिश्चित करेगां किं विश्वंविद्यालय द़ारा दिये गये पाट्यकमों के शैक्थिक. गानक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा अन्य सांविधिक निकाय इत्यादि के दिशा-निर्देशों के अनुसार हों।
(3) अध्यापक छात्र अंनुपात विश्वविद्यालय अनुदान•अयोग या विशिष्ट परिषद् के दिशा-निर्देशों के अनुसार होग़।
9. विश्वविद्यालंय प्रत्येक लिंग. वंश, मत, जाति या वर्ग के व्यक्तियों के लिये होगा और विश्वविद्यालय सभी विश्वविद्यालय के लिये यह विर्धिसम्मत नहीं होगा कि वह क़िसी व्यक्ति के लिये किसी वर्गों और मेतवलवयों के अधिकारी. अध्यापक कर्मचारीवृच्द या छात्र के रूप में उसमें प्रवेश किये जाने के लिये या उसमें लिये हांग्र कोई पद धारण करने के लियें या वंहॉ से स्नातक करने के लिये हकदार करने के उद्देश्य से धार्मिक विश्वास या व्यवस्साय की कोई परीक्षा जो भी हो. ले या उस पर अधिरोपित करे ;

परन्तु अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/नागरिकों के अन्य पिछड़ें वर्गो के व्यक्तियों के लिये विश्वविद्यालय में पदों तथा कर्मचांरियों की भर्ती पर तथा किसी पाठ्यक्यम में छात्रों के प्रवेश पर आरक्षण समय-समय पर राज्य सरकार के आदेशों द्वारा विनियमित किया जाये:ा!
in विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होगे :-
विश्वविध्यलगय कं अधिकारी
(क) कुलाधिपति,
(ख) प्रति कुलाध्रिपंति:
(ग) कुलपति :
(घ) प्रति कुलपति;
(5.) निदेशंक/प्रधान
(च) कुलसचिव
(छ) परीक्षां नियंत्रक
(ज) छात्र कल्याण का संकायाध्यक्ष
(फ़) संकायों के संकायद्यद्ध :
(अ) मुख्य कुलानुशासक;
(ट) कोषाध्यक्ष :
(ठ) वित्त अधिकारी. और
(ड) ऐसे अंय्य अधिकांशी जो परिनियमों द्वारा विश्वंविद्यालय के अधिकारी घोषित किये जायें।
11. (1) ट्रस्ट द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिये कुलाधिपति की लियुक्ति की जायेगी। कुलाधिवत्ति
(2). कुलाधिपति अपने प़द की हैसियतं से विश्वविद्यालय का प्रधाने होगा और अंतरिम कार्यपरिष़द का गठन करेगा।
(3) कुलाधिपति ट्रस्ट को संबोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकत। है।
12. (1) प्रति कुलाधिपति की नियुष्ति ट्रस्ट द्वारा तीन वर्ष कें लिये की जायेगी। प्रति-कुलाधिपति
(2) प्रति कुलधियति कुलाधिपति को दायित्वों के निर्वहन में सहायत़ा प्रदान करेग लथा उ़की अनुपस्थिति में दीधाँत सभाजेंह का सभाप्रतित्व करेगा।
(3) प्रति-कुलीधिपति, कुलाधिपति को संबांधित स्वहस्ताक्षारंत लेख द्वारा अपना पदे त्याग कें सकता है।

म्ल 13 (1) कुलपति की निय्युक्ति कुलाधिपति द्वारा तीन वर्ष के लिये ऐसी रीति से की जायेगी जैरों विहिल की जाये।
(2) म्लपति विश्वविद्यालय के प्रमुख कार्यवालकं और श्शक्षणिक अधिकारी होगा और विश्वविध्यालुय के विद्या परिषद् एवम योजना वोड्ड का अध्यद्स होगा और वह विश्वविद्यालय के कांद्यकलोषों पर सामान्य पर्यंवेक्षण़ और नियंत्रण रखेंभा और विश्वविद्यालय के समरत प्राधिकारियों के विनिश्वयों को प्रभावी करेगा।
(3) यदि कुलपति की राय में किसी मामले में तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक हो तो वह ःः अधिनियम द्वारा या उसके अधीन विश्वविद्यालय के किसी प्रधिकारी को प्रदत्त किसी श्शकित सं प्रयोग कर सकता है और ऐसे मामले में वह कृत कार्यवाही से उस प्राधिकारी को अवगत करायेगा ;

परन्तु यह कि विश्वविद्यालय की संवा में कार्यरत किसी प्राधिकारी या व्यक्ति को जो इस उपधारा के अधीन कुलपति द्वारा की गयी कार्यवाही से व्यथित हो. यह अधिकार होगा कि वह आदेश के संसूचित किये जाने के एक माह के भीतर कुलाधिपति को इस कायेवाही के विरुद्ध अपील करे। कुलाधिपति कुलपति द्वारा कृत कार्यवाही की पुष्टि कर सकता है या उसे परिवर्तित कर सकता है या उसे उलट सकता है।
(4) कुलपति ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कृत्यों का सभ्पादन करेगा जैसा विहित किया जाय।

14-- (1) प्रतिकुलपति की नियुक्ति कुलपति द्वारा कार्य परिषद् के अनुमोदन से की जायेंगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कर्तव्यों का सम्पादन करेगा जैसा विंहित किया जाय।
(2) उपधारा (1) क अधीन नियुक्त प्रतिकुलपति आचार्य के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन के साथ अपनी कर्वव्यों का निर्वहन करेगा।
(3) प्रतिकुलपति, जैसे और जब कुलपति द्वारा. अपेक्षा की जाय, दिन प्रतिदिन के कर्तव्यों के निर्वहन में कुलपति कीँ सहायता करना।
(4) प्रतिकुलपति उतनी धनराशि का गानदेय प्राप्त करेगा जितनी ट्रस्ट द्वारा अवधारित की जाय।

प्र|चायं यं निदशक 15 -- निदेशक या प्राचार्य की नियुक्ति ऐसी रीति से होगी तथा वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों क़ा संपादन करेगा जैसी विहित की जाए।
फुलनचिंव 16- (1) कुलसचिव की नियुक्ति ऐसी रीति से की जायेगी जैसी विहित की जाए।
(2) कुल सचिव को यह शक्ति होगी कि वह विश्वविद्यालय की ओर से अनुबन्ध करे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करे.और अभिलेखों को अभिप्रमाणित करे और वह ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे अन्य कार्यों का संपादन करेगा जैसा विहित किया ज़ाए।
(3) कुलसचिव कार्यपरिषद् और विद्यापरिषद् का पदेन गैर सदस्य सचिव होगा।

राक, 17- प्रत्येक्ये संकायाध्यक्ष की नियुक्ति ऐसी रीति से की जायेगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कृत्यों का संपादन करेगा जैसा विहित किया जाय।

कमशटं 18 - कोषाध्यक्ष की नियुक्ति ऐसी रीति से की जायेगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयाश करेगा और ऐसे कृत्यो का सपाटन करेगा जैसा विहित किया जाए।

वी: असिभझी 19-(1) वित्त अधिकारी की चियुक्ति ऐसी रीति से की जायेगी और वह ऐसीं शबितयों का प्रयोग करेगा और ऐसे कृत्यों का सपादन करेगा जैसा विहित किया जाय।."
(2) वित्त अधिकारी वित्त रमिति का पदेन सचिव होगा।

20-छात्र कल्याण के संकायाध्यक्ष परीक्षा नियंत्रक और गुख्य कुलनुशासक सहित अन्य अंविकरी विश्ववव़िद्यालय के अन्च अधिकारियों की नियुक्ति की रीति, शक्ति तंथा कृत्य ऐसे होंगें जैसे विहित किये जश्यें।

21- विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकारी होंगे :-
विभ संवध्धालय के
(क) सभा.
(ख) कायं पश्रिपद्य
(ग) विद्यः परिषद् .
(i) वित्त समिति:
(ड.) नियोजन बोर्ड :
(च) पाट्य दोर्ड :
(छ) संक़ाय चोर्ड.:
(ज) परीक्षा समिति
(अ) प्रवेश समिति और :
(अ) ऐसे अंय प्राधिकारी. जिन्हें परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय का प्रांधिकारी घोषित किया जायां
22.: (1) सभा का गठन और उसंके सदस्यों की़ी पदावधि ऐसी होगी जैसी विहित की जाय। सभां
(2) इस अधिजियम के उपबन्धों के अधींन रहते हुये सभा की निम्नलिखित शक्तियाँ और कृत्य होंगें: यथा :--
(क) विश्वविद्यालय की व्यापक नीतियों औंर कार्यकमों का समय-समय पर पुनरीक्षण करना और विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली, उसके उन्नयन और विकास के लिये अंध्युपायों का सुझाव देना ;
(ख) विश्ववविद्यालय की वार्षिंक रिपोंट और वार्षिक लेखाओं और ऐसे लेखाओं पर संप्परीक्षा रिपोर्ट पर विचार करना और संकल्प पारित करनना ं
(ग) विभिन्न परिवदों या स़रकारी़ी अथवा अर्द्ध सरकारी अथवा निजी निकायों के लिये. जहां यथा विहित अवधि के लिये विश्वविद्यालय का प्रतिनिंधित्व करने हेतु भेजने की आवश्यक्यता हो. सदंस्यों को नामित करना :
(ध) ऐसे अन्च कृत्युों का सम्पादन करना जैंसा विहित किया जाय।
23-(1) कार्य प़रिषद् विश्वविद्यालय का प्रमुख कांर्यपालक निकाय होगा। कार्य जरिषद
(2) कार्य परिंबद का गंठन. इसकें सदस्यों की पदावधि और उसकी शक्तियाँ.और कृत्य ऐसे होंगें जैसां विहित किया जाय।
24-- (1) विद्या.परिषद विश्वविद्यालयं का प्रमुख सीक्षणिक निकाय होगा और इस परिनियमों और विद्या परिपद्य अध्यादेशों के उपबन्धों के अधीन रुहते हुपे विश्वविद्यालय की शैक्षणिक नीतियों के सांमान्य पयवेक्षण का समन्वय करेगा और उसका प्रयोग करेगा।
(2) विद्या परिषद् का गठन. इसके सदस्यों की पदावधि और उसकी शक्तियाँ और कृत्य ऐसे होंगे जैसा विहित किया जाए।
25-- (1) वित्त समिति. वित्सीय माभलों की देखभाल करने के लिये विश्वविद्यालय की प्रधानं वित्त समिति . वित्तीय निकाय होंगी।
(2) वित्त स्समिति का गठन, शक्तियाँ और कृत्य ऐसे होंगें जैसा विहित किया जाय।

26- (1) नियोजन बोर्ड विश्वविद्यालय का प्रमुख नियोजन निकाय होगा। बोर्ड यह सुनिश्चित नियोजन बाड़ं ऊरेशा कि अवस्थापना और शैक्षिंके सहायता प्रणाली विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या अन्च सम्बन्धित परिपदों के मानकों कों पूरा करें।
(2) नियोजन वोडं का गठने उसके सदस्यों की पदावधि और इनकी अन्य श़्शि्तियॉ" और कृत्य ऐसे होंगों जैसा विहित किया जाये।

27- संकाय परिषद्, प्रवेश समिति,परीक्षा समिति और ऐसे अन्य प्राधिकारी के जिन्हें परिनियमों द्वारां विश्वविद्यालय के प्राधिकारी घोषित किये जाय, गठन शक्तियां और कृत्य ऐसे होंगें जैसे। विहित् किये जाये।
28-(1) कार्य परिषद् इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्याग्वित करने के लिये परिनियग बनाएगी।
(2) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहंते हुये परिनियम निंग्नलिखित सभी या किसी विषय की व्यवस्था कर सकते है. अर्थात :-
(क) विश्वंविद्यालय के प्राधिकारियों जिनका समय-समंय पर गठन किया जाए, का गठम उनकी शक्तियॉ और कृत्य ;
(ख) उक्त प्राधिकारियों के सदस्यों के पद की नियुक्ति और निरंतरता, सदस्यों की रिक्तियों का भरा जाना और उन प्राधिक़ारियों से सम्बन्धित अन्य समस्त मामले जिनके लिये उपबन्ध करना आवश्यक हो ;
(ग) विश्वविंद्यालय के अधिकारियों की नियुक्ति, शक्तियॉ और कर्तव्य और उनकी परिलध्धियाँ:
(घ) विश्वविद्यालय के अध्यापकों और अन्य शैक्षणिक् और प्रशासनिक कर्मचारियों की नियुक्ति और उनकी परिलब्धिया!
(ड.) विश्वंविद्यालय या संस्था में. कार्यरत अध्यापकों और अन्य शेक्षणिक एवं प्रशासनिक कर्मचारी वर्ग की एक संयुक्त परियोजना के लिये दा़ित्व लेने के लिये एक निश्चित अवधि के लिये नियुक्तिं;
(च) कर्मचारियों की सेवा शर्तें जिसके अन्तर्गत सेवानैवृत्तिक लाभों. बीमा और भविष्य निधि. सेवा समाप्ति की और अनुशासनात्मक कार्यवाहियों से सम्बन्धित उपबन्ध भी है,
(छ) कर्मचारियों की सेवा की ज्येष्ठता को शासित करने वाले सिद्धान्त ;
(ज) कर्मचारियों या छात्रों और विश्वविद्यांलय के मध्य विवादों के निपटारे की प्रकिया :
(झ) विश्वविद्यालय के किसी अधिकरी या प्राधिकांरी कें किसी कृत्य के विरुद्ध किसी कर्मचारी या छात्र द्वारा कार्यपरिषद् के समक्ष अपील करने की प्रकिया :
(习) सभ्मानार्थ उपाधियों का प्रदान किया जा़ाना;
(ट) उपाधि. डिप्लोमा, प्रमाण-पत्र और अन्य विद्या सम्बन्धी विशिष्टियों का वांपस लेना,
(C) अधिछात्रवृत्तियों, छात्रवृत्तियों, विद्यावृत्तियों, पदकों और पुरूस्कारों को संरिथत करना :
(ड) छात्रों के मध्य अनुशासन को बनाये रखना
(ढ) विभागों. केन्द्रों और अन्य घटक संस्थाओं/महाविद्यालयों आदि की स्थापना करना और उनको समाप्त करना :
(vi) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियो या अधिकारियों में निहित शक्तियों का प्रत्यायोजन. और :
(त) अन्य सभी विषय जो इस अधिनियम के अधीन विहित किये जाने हो या विहित किये जा सकते हो -।
(3) कार्य परिषद् विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी की शक्ति या गठन को प्रभावित करने वाले किसी परिनियम को न तो बनायंगीं और न ही उसमें संशोधन या निरसन करेगी जब तक कि ऐसे प्राधिकारी को प्रस्तावित परिवर्तनों पर लिखित रूप में अपनी राय व्यक्त करने का अवसर न दे दिया हो और इस प्रकार व्यक्त की गयी किसी रायू पर कार्य परिबद् द्वारा विचार किया जायेगा।
(4) पूप्वग्गभी उपधाराओं में अन्तर्विष्ट किसी बतत के होते हुये भी कुलाधिपति स्व़यं द्वारं। विनिर्दिष्ट क़िसी- गास़ंले के राम्बन्ध में परिनियम, में उंपबन्ध कंरनें के लिये विश्वविद्यालय को निदेश दे सकंता है और यदि कार्यपरिषद् निदेश की प्राद्नि के दिनांक से साठ दिने के भीतर ऐसे निदेशे को कार्यन्वित करोे में अपऩी असमर्थती के विपय में सूचित किये गये कारणों पर, - यद्रि कोई हो. विचार करने के पश्चात तद्नुसार, जैसा वह़ उचित समझुो, परिनियम बना सकला है या उसे संशोधित कर सेक़क़ा है।

29- इस. अधिनियंम और परिनियमों के उपबनधों के अधीन रहते हुयें अध्यादेश कार्य अंध्यादेश बनाने की पंरिषद् द्वारा वनाये जाएों जिनमें निम्नलिखित समस्त या उनग़ों से किसी विषयः के लिये शक्ति उपयन्ध किये जा सकेंगें अर्थात :
(क) विश्वविद्यालय में छान्रों का प्रवेश और इस रूपं में उनका नामांकन :
(खं) विश्वविद्यालय़ की सभीः उपाधियों. डिप्लोभां और प्रमाण-.पत्र के लिये - अंययना पाट्ययक को निर्धारित किया ज़ाना :
(ग) शिक्षण और परीक्षा क़ां माध्यम :
(घ) उपाधि. डिज्लोमा. प्रभाणण-पत्र तथा शैक्षणिक विशिष्टियां प्रदाऩ करना और उनकीं अर्हताये निध्धारित करना और उन्हें प्रदान किंये जानें और प्राप्त करने के सम्बन्ध में किये जाने वालें उपाय ,
(ङ.) विश्वेविद्यालय में अधंयन पाट्यकमों की परीक्षाओं डिग्री, डिप्लोमां और प्रमाणन-पत्रों के लियें प्रभार्य शुल्क का निर्दारण :
(a) अधिछात्र्रवृतिपयॉ. छा त्रंवृत्तियां. विद्धावृत्तियाँ. पदकों और पारितोषिकों को प्रदान करने की शार्तं
((B) परीक्षांओं का संचलन जिसके अन्तर्ग्त परीक्षा निकायों परीक्षकों और अंनुसीमकों की पदोंवधि और नियुक्ति की शीति और कर्षव्य भी.है:
(ज) विश्वंविद्यालयंय के छात्रों क्के निवास की शर्ते :
. $\because$ (झ) छात्राओं के निवास, अनुशासंन और अध्यापन के लिये बनायी जाने वाली विशेष व्यवस्थायें, यदि कोई हों, और उनक़े लिये विश्वंविद्यालय के अन्तर्गत विशेष अध्ययन पीण़यकमों को विहित करमा;
(अ) ऐस़े कर्भचचरियों, जिनके लिये परिनियम मेंःउपबन्ध किया गया हो, से भिन्न: कर्गंतरियों की नियुपित और परिलधियना:
(ट) उध्यंयन केन्र्रों, अध्यधन बोर्डों, अन्तर्शाख़ीय अध्ययन, विशिष्ट केन्द्रों, विशिप्ट प्रयोगफ़ालाओं और अन्य सगितियाँ की रथापना.
(ठ) अन्य विश्वविध्रल्लयों और प्रांधिकरणों जिसके अन्तर्गत विद्टत निकाय औरसंध भी है. के साथ सहैयाँ और सहभागिता की रीति :
(ङ) दिणी ऐसे अन्य तिकाय जो विश्वविद्यालय के शेक्षणिक जीवन में सुधाऱ के लिये आवश्यंक समझ फ़िए के सृजन संरचन औरंर कृत्य
(क) प्लीध्रकों, अनुसीमकों. अन्त: लिश्रिकों और सारणीयकों को भुगतनल किये जाने वाले परिश्रनिके
(0) अध्वापकों और अन्च शै्लणिक कर्मचऱा़ी वगों की सेवा की ऐसी अंन्य निवंच्ध और शर्ता. जा परिनियमीं ह्वारां विहित ज हो .

वार्षिक सिप़ंध

वार्खिक लेख
!
.कमेंथारियों क्रो सेवा को 9 咅

अपौल करन का अधिकार
 Aोले जाँर पेशन

प्राधिक्रारियों और
किकासो के गलन के बतरें मे विधाद

30- (1) विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट, कार्य परिषद् के निदेश के अधीन तैयार की जायेगों तथा उसे ऐसे दिनांक को या उसंके पश्चात कोर्ट को प्रस्तुत किया जायेगा जैसा विहित कियां जायेगां और कोर्ट अपनी वार्षिक बैंढक में. रिपोर्ट पर विचार करेगी।
(2) कोर्ट अपनी टिप्पणी के साथ यदि कोई हो वार्षिक रिपोर्ट कुलाधिपतिं कों प्रस्तुंत. करेगी।

31- (1) विश्वविद्यालय का वार्षिक् लेखा और तुलन-पत्र कार्य परिषद् के निर्देशों के अधीन तैयार किये जायेंगे और उनकी सम्परीक्षा प्रख्यात चार्ट्ड एकोउन्टेंट के अनुभवी और् अर्ह फर्म द्वारा वर्ष में कम से कम एक बार जो, पन्द्रह माह के अन्तराल से अधिक नहीं- होगा; करायी जायेगी।
(2) सम्पंरीक्ष रिपोर्ट के साथ वार्षिक लेखों की प्रति कार्यपरिषद के प्रेक्षण सहित कोर्ट को प्रस्तुत की जायेगी।

32- (1) विश्वविद्यालय का प्रत्येक कर्मचारी परिनियमों कें उपब़न्धों के अनुसार नियुक्त किया जायेगा/ काम प़र लगाया जाथेगा।
(2) विश्वविद्यालय और मौलिक रूप से नियुक्त किसी कर्मचारी के मध्य उठने वाले किसी विवाद को कुलपति को निर्दिष्ट किया ज़ायेगा जो अपने निर्देश के दिनांक से तीच-मास की भीलरं कर्मचारी को अवंसर प्रदान करने के पश्चात् विवाद का विनिश्चय 'करेगा।
(3) व्यथित, कर्मचन्री, कुलपति के आदेश के विरुद्ध कुलाधिप़ति को' अपील कर संकता है।
(4) अस्थायी रूप से या तदर्थ आधार पर या अंशकालिक या आकस्मिक आधार पर कार्यरत किसी कर्मचारी के सम्बन्ध में किसी विवाद की सुनवाई और उसका विनिश्चय अन्तिम रूप से संबंधित विभागाध्यक्ष द्वारा किया जायेगा।
(5) कुलपति के आदेश द्वारा व्यथित कोई व्यक्ति कुलाधिपति को अरील कर सकता है। ऐसे अपील में कुलाधिपंति का विनिंश्चय अन्तिम होगा और कुलाधिपति. द्वारा विनिश्चय किये गये मागलों के सम्बध्ध में कोई वाद किसी न्यायालय में संर्थित़ नहीं किया जा सकेगा।

33-- (1) किसी परीक्षा के लिये कोई छात्र या अभ्यर्थी जिसका नगम, यथास्थित, विद्या परिषद, कुलानुशासक बोर्ड या परींक्षा नियंत्रक के आदेश या संकल्प द्वारा विश्वविद्यालय की नामांकन सूची से हटा दिया गया हो और जिरको एक से अधिक वर्ष तक के लिये विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में सम्भिलित होने से वर्जित कर दिया, गया हो, अप़ने द्वाशा ऐसें आदेशों की प्राष्ति के दिनांक के दस दिन के भीतर लिखित रूप में फुलपतिं को अपील कर सकता है जो यथास्थिति उपर्युक्त प्राधिकारियों ग़ा सम्बन्धित समिति के. विन्निश्चय को पुष्ट, उपान्तरित या पलट संकलां है।
(2) कुलपति द्वारां लिया गया कोई निणय-अन्तिम होगा।
34. विश्वविंच्यलध अपने कर्मचारियों के लाए के लिये ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अधीन रहले डुथे कारार्य परिंबद् द्वारा अवधारित ऐसी पेंशन या कल्यांणकारी योजना यां भविष्य निंधि का गठन कर संकता है या ऐसी बीमा योजनाओं की व्यवस्था कर सकता है जैसा कार्य परिषद् द्वारा लिश्चित किया जाए।

35- यदि ऐसां कोंदू प्रश्न उत्पन्न हो, कि क्या कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी प्रीधिकारी या अन्यं निकाय के सदरच के रूप में सम्यक रूप से नामित या नियुक्त किया गया है या वह उसका स्दंदस्य होने का हकंदार है तो ऐसे मांमे को कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जायेगा. जिएका उसं विषय में विनिश्चय अन्तिभं होगा।

यनितिय क्रं का प०ल
36- जहां विश्व़विद्यालय के किसी प्राधिकारी को इसं अधिनियम या परिनियमों के अधीन समितियाँ तियुक्त्त करने की शक्षि दी गयी हों वहाँ ऐसी समितियों मों अन्यथा. तपवन्धित के सिवाय सम्ब्धित प्राधिकारी के सदस्य ओंर ऐसं अन्य व्यक्ति जिन्हे प्राधिकारी फ्रतयंक पामले में उचिस समझ होंगे।
37. विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय के संद्र्यों (पदेन सदस्यों से रिक्तियों का भरा भिन्न) में हुई सभी रिक्तियों कों ऐसे व्यक्ति या निकाय द्वारों जिसने उन सदस्यों "को जिनके जानन स्थानं. रिक्त हुये हैं नियुक्त या निवर्वाचित या सहुयोजिता क़िया था .ऐसी अंवधि के लिये जिसका प्रावधान उपयुक्त धारा में किया गया हो, यथा श़क्य शीघ्र भरा जायेगां।

38-- विश्वविद्यालय के किसी प्रतिंकारी या अन्य निका़य का कोंई कार्य या कार्यवाही कार्यवाही की उसके सदर्यंओ में किसी र्रिक्ति य़ा रिक्तियों: की विद्यमानता मात्र के काऱण अविधिमान्य नहीं अविधिमान्यती होगी।

39-. विश्ववविद्यांलय के किसी प्राधिकांरी या समिति की किसी रसीद, आवेदन, सूचना विश्वविद्यालय के कार्यवाही र्योकल्प या अन्य दस्तावेज जो विश्वविद्यालय के आधिपत्य में हो को यदि कुलसचिव अभिमिलेखों को ': द्वारा प्रमाणित किया गया हो तो ऐसी रसीद आवेदन, सूचना, आदेशः कार्यवाही, संकल्प या. श्रीति देरतांवेज़ को या रंजिस्टर में प्रविष्टि की विद्यमानता" प्रथम दृष्टयां सांक्ष्य के: रूप में ग्रहण किया, जायेगा और उसमें अभिलिखित विषय और व्यवहार को साक्ष्य कें रूप में ग्रहंण किया जायेगा।

40- (1) इसं अधिनियम के अधीन बनायां गया प्रत्येक परिनियम या अध्यादेश लिखित रूप परिंनियों और, में उपलब्ध कराया जायेगा।

अध्यादेशों का प्रकाशंन
(2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रंत्येक परिनियंम या अध्यादेश सक्षम प्राधिकंरी द्वारा बनाये जने पर यथाशीघ प्रवृत्तं किया जायेगा।

41: (1) ट्रस्ट कम से कम दस करोड़ रू० की एक स्थायी विन्यास निधि रथापित करेगा। सथाथी विन्यास
(2) विश्वविद्यालंय को स्थाई विन्यास निधि को ऐसी रीति से जैसी विहित की जाय, निवेश करने की शक्ति होगी। $\because$.
(3) विश्वविध्दालय स्गमान्यं निधि से याँ विकास निधि से कोंई धनराशि स्थायी विन्यास निधि को अन्तरित कर सकेगा।
(4) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट न्यूनतम धनराशि. से अधिक कोई धनराशि विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिये विश्वविद्यालय द्वारा स्थायी विन्यास निधि से निकाली जा राकेंगी।
42. (1) विश्वविद्यालय सामान्य निंधि की संथापंा करेगा जिसमें निम्नलिखित धनराशि जमा सामान्य्य निधि की जायेगी. अर्थातं :-
(क) सभी शुल्क, जिसे विश्वविद्यालय द्वारा प्रभारित किया जाये
(ख) किसी अन्य स्रोत से प्राप्त की गयी समस्त धनराशि':
(ग) ट्रंस्ट द्वारा "किये गंये सभी अंशदान और.;
(घ) किसी अन्य व्यक्ति या निकाये द्वाग़ा ज़िसे तत्समय प्रवृत्त किसी अंन्य. विधि द्वारारा निषिद्ध भा किया गया तो इस निमित्त किये गये सभी अंशदान ;
(2), सामान्यु तिधि में जमा धनराशि को उपयोग विश्वविद्यालयों कें सभी अव्वर्ती व्ययों के लिंये किया जायेगा
$43^{\circ}$ (1) विश्वविद्धालय एक विकास्स निधि मी स्थापित क़रेगा, जिसमें निम्नलिखित धनराशि विंकास निंधि जांमां की जायेघगी. अर्थां।:
(क) विकनस शुल्क जो छात्रों से प्रभारित किया जा सकता है :
(ख) विश्वविद्यालय के विकास के प्रयोजनों के लिये किसी अन्य स्रोत से प्राप्त की गंयी समस्त धनराशि' ;
(ग) ट्रस्ट द्वाऱा किये गये संभी अंशदान :
(ध) किसी अन्य. व्यक्ति या निकांय द्वारा जिसे नत्स्समयं प्रंवृत्त किसी अन्य विधि द्वाऱा निषिद्ध 7 किय गयां हो, इस निमित्र कियें गये सेंगी अंशदन्ती और
(3) स्थाथी वि्च्यास "निधि से प्राप्त की ग़यी समरस्त आयय
(2) विकास निधि प़ें समय --समय पर जामा की गयी धनराशि का उपयोग . विश्वविद्यालय के विकास क़े लिये किया जायेगा।

नितो क! अव़र8ण

वित्धोग शार्ति

शुल्ज, . 46. विभिन्ष शैक्ष्रणिक कांर्यकभो के लिये प्रभारित शुल्क परिनियम एवम अध्यदेश के क्रम में बत्समय प्रवृत्त वि, िियों के अनुसा़ लिया जायेगा।

47-(1) विश्वविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अधिकारो का यह कर्तव्य होगा कि वह विश्वविद्यालये के प्रशांसंन अथवा वित्तीय और अन्च. कार्यकलापों से सग्बन्धित सूचनाओं या अभिलेखों को प्रस्तुत करे जैसा. कि, राज्य सरकार द्वारा गांग की जाय।
(2) राजय सरकार यदि वह - सगझती है कि अधिनियम अथवा परिनियमों यां अध्यादेशों के उपबन्हों का उल्लंघन हुआ है तो वह धारा— 51 के अधीन विश्वविद्यालय को ऐसे निदेश जारी कर सकती है, जिसे वह आवंश्यक समंडे।
48--(1) यदि विश्वविद्यालयं अपने गठन और निगमंन को विनियमित करने वाली विधि के अनुरार अपंों विघटन का प्रस्ताव करता है. तो वह राज्य सरकार को कम से कम दो माह की लिखित नाटिरा देगा।
(2) उपधारा (1) में निर्देष्ट नोंटिस के प्राप्त होने पर रांज्य सरकार विश्वविद्यालय के विद्धलेन के दिमांक सें और जब तक विश्वविद्यांलय के नियमित शिक्षपा पाठ़यक्रमों मे छात्रों का अन्तिम बै। अपने शिक्षण पाउयक्रमं, को यथाविहीत रीति सं पूरा न कर ले विश्वविद्यालय के प्रशासम की ऐंसी व्यवस्था करेगा जैसी विहित की जाय।

49-(1) धारा-48 के अधीन विश्वविद्यालय के दायित्व ग्रहण करने की़ी अवधि के दौरान
वैध विश्वृतियालय का व्यय

## 



कोग
44. धारा 41. 42 एवं $43^{\prime}$ के. अधीन स्थापित निधियों को कोर्ट के सागान्य पर्यवेक्षण और नियंच्रणों के अधीन रहते हुये ऐसी रीति से विनियमित और अमुरक्षित किया जायेगा जेसी विहित की जाय ।

समनाओ अभ
अविलख्रो
की गाम, करन क
लिये
सीय सरकार की शांक्टच्यां

विश्वविद्यालय का तिघट:-1 विकास निधि से किंया जायेगा।
(2) यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट निंधि. विश्वविद्यालय के दायित्व को ग्रहण करने़े के दौरान विश्वविद्यालय के व्यय को पूरा करने के लिये पर्याप्त नहीं हो तो राज्य सरकार द्वारा ऐसा व्यय विश्वंविद्यालय की सम्पत्तियों य। आस्तियों का निस्तारण करके पूरा किया जा सकेग़ा।
50- (1) जहां राज्य स्रेकार को इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार विश्वविद्यालय के कार्य ंन करंन कें सम्बन्ध में कोई शिकायत प्रापा हो तो वह विश्वविद्यालय को शिकायत की प्रति भेजासे हुये विश्वविद्यालय से अपेक्षा करेगी कि ऐसे समय के भीतर जो छं: मासी से कम नहीं होगा कारण बतलये कि विश्वविद्यालय की मान्चता क्यों न वापस ले ली जाय।
(2) उपधारा (1) के अधीन दी गयी नोटिस पर विश्वविद्यालय का उत्तर प्राप्त हो जाने पर यदि राज्य संरकार को समाधान हो जाय कि प्रथम दृप्टया इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन को मामला, पाया गया है तो ऐसी जांच करने का आदेश देगी जिसे वह आवश्यक समझा।
(3) उपधरी (2) के अधीन किसी जाय के प्रयोजनों के लिये राज्य सरकारं अधिसूचणा द्धारा जाध प्राधिकारी के रुप में किसी अधिकारी या प्रतिकारी को इस अधिनियम के उपबन्धों के अनिके कीन की च के लिय नियुक्त करेगी।
(4) उपधारा (3) के अधीन प्रत्येक जाय अधिकारी या प्राधिकारी कों इसा अधिनियम के अधीन उपवं) कृत्यों की संपादन करतो रामय द्रििल प्रक्रिया सहिता 1908 के अधीन किसी
 की शक्ती जांगी अर्थात -

उद्देश्य और कारण
उच्व शिक्षा के क्षेत्र में निजी क्षेत्र की सहभागिता को प्रोत्सहित करने की दृष्टि से यह विनिश्चय किया गया
 (अविं)यम रांख्या 2. सन् 1882) के अधीन, रजिएट्रीकृत है, द्वारा प्रायांजित उत्तर प्रदेश के गजरौला, जिला ज्योंतिषा फुले ी़र में श्री वेकटेश्वरा विश्वविद्घालय, के नांम से एक विश्वविद्यालय स्थापिता और निगमित किया जाय जिससे कि शिक्षा का अभिनवीकरण, पठ्ट्यक्रमों की समुचिते संरचना, अध्यापन और ज्ञानोपर्जन की नवीन पद्धति के लिए और व्यक्तित्व के समग्र विकास का गार्भ प्रश्त करने के लिए विद्यार्थियों और अध्यापकों को आवश्यक वातावरण ओंर रुविधा प्रदान की जा सके।
(Tदमुसार श्री वेंकटेश्वरा दिश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक. 2010 पुर:स्थापित किया जाता़ है।
आझा से
के० के० शर्मा,
प्रमुख सचिव।

No. 1106 (2)/LXXIX-V-1~10-1-(Ka)22-2010
Dated Lucknow; October 12, 2010

## NOTIFICATION

Miscrelaneous
In pursuance of the provisions of clatse (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is phatised to order the publication of the following English transtation of the Shri Venkateshwara Vishwavidyalaya Uttar Pradesh Adhinyam. 2010 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 25 of 2010) as passed by thie Uttar Pradesh legislature and assented to by the Govemor on October 09. 2010:

> THE SHRI VENKATESHWARA UNIVERSITY UTTAR PRADESH ACT, 2010, U.P ACT NO. 26 or 2010 AAs pasied by the Uitar Prutesh Legislature) AN
$\because$ westohhshand incorportte a teaching L'niversity sponsored by Shree Banke Bihari Educutional and Welfare Trusi, Meerut. Unar Prudesh and to provide for matters connected where with or incidental thereto.

IT IS.HFREBY cmacted in the Sixty-first Year of the Republic of India as follows:
Shat Ittc $\quad 1$. This Act may be called the Shri Venkateshwara University Uttar Pradesh Act. 2010.
?. In this Act. unless the context otherwise requires.-
(a) "Academic Council" means the Academic Council of the University:
(b) "Board" meanis the Board of Studies or the Planning Board, or any other Board of the University:
(c) "Chancellor". "Pro-Chancellor". "Vace. (hancellor". and "Pro-ViceChancellor" mean respectictl the Chancellor. The "Pro-Chancelior" the Vice-Chancellor the Pro-vace (hancellor of the Universily
(d) "Court" means the Courz of the !asersity:
(c) "DirectoriPrncipal" means the !head of an hastitution, a College, a Centre and a School, or the person appointed for the pupose to act as such in his abserne:
(1) "Deparment" means a Deparmen oí Studies and meiudes a Centre of Studies and Research.
(g). "Employee" means any person appointed by the University, and includes a teacher or any other member of the stalf of the University:
(h) "Executive Council" means the Executive Council of the University;
(i) "Existing College" means a college or an institution which imparts protessional education and is proposed to be merged, run and maintained by the University:
(i) "Faculty" means a Facully of the Universty:
(k) "Hostel' means Scholar Students Hostel of the University;
(1) "Institution/College" means a college including existing college or an Institution established or mainained by or associated or constituent to the University in accordance with this Act and the Statutes.
(m) "Prescribed" means prescribed by Statutes:
( $n$ ) "Records and Publication" means the Records and P'ublication of the Unicersity:
(0) "Statutes" and "Ordinances" means respectively, the Statutes and the Ordinances of the University for the time being in force:
(p) "Student" means a student enrolled in the register of the University;
(q) "Teacher of the University" means Professors, Associate Professors. Readers, Assistant Professor. Lecturers and such other persons as may be appointed for imparting educationinstructions of conducting research in the Liversity and are designated as Teachers by the Ordinances:
(r) "Treasurer". "Registrar". "Deputy. Registrar". "Finance Officer", "Controiler of Examitiations". "Librarian" or "Proctor" means respectively the. Treasurer, the Registrar. the Deputy Registrar. the Finance Officer . the Controller of Examination, the Librarian or the Proctor of the Unversity:
(s) "Trust" means Shree Banke Bihari Educational and Welfare Trust. 208 A, Saket. Meerut registered under the Indian Trusts Act, 1882;
(t) "University" means the Shri Venkateshwara University, Ultar Pridesh - istablished under section 3.
3. (1) There shall be established at Gajraula, in District Jyotiba Phule Nagar in Utar Pradesh a University by the Trusi in the name of the Shri Venkateshwara University Utar Pradesh.
(2) The Universitv shall be a body corporate.
4. The sponsoring body, the Trust shall. for the purposes of establishing the University under this Act. fulfill the following conditions, namely :-
(a) Duly possesses minimum 50 acres contiguous land earmarked for the University:
(b) Construct on land referred to in clause (a) buildings of at least 24000 sc . metre catpet area. out of which at least 50 percent shall be for academic. and adminisurative purposes.
(c) Inslall equipments in offices and laboratories worth minimum Rs. Five crore in the building referred to in clause (b)
(d) appoint teachers and establish infrastructure of the department/ school for the purposes of teaching andior research in at least seven subjects as per standards laid down by the University Grants Commession:
(e) make the Statutes and the Ordinance for the administration and functioning of the University:
(f) such other conditions as mat be required by the State Govermment to be fulfilled before the establistiment of the University.

Condituons for the establisimment of the University.
5. (1) The University shall start operation only aficr the State Govermment bsisues to the lirust a letter of authorization for the commencement of the functioning of the University
(2) The State (iovernment shall issue the letter of authorization after receipt of an unambeguous alfidavit along with documents from the Trust to the elfeet that all conditions referred in in section 4 have been fultilled.
6. The objects of the University shall be to disseminate and advance knowledge and skill by providing instructional. research and extension of facilities in such branches of learning as it may deem fit and the University shatl endeavour to provide to studemts and teachers the necessary atmosphere and facilities for the promotion ol:-
(a) montaishs in education leading to restructuring of courses. new methods of kaching. training and leaming including on-tine learing. blended ke:ruing continuing education and such other modes and integrated and "holesome development of personality:
(b) ștudic: in various disciplines:
(c) inlor disciplinary siudies:
(d) mathonal Integration. secularism. social equity and enginecring of mbernational understanding and cihics.
7. The University shall have the foliowing powers. namely:-
(a) tw prowide for instruction in such branches of learning as the University may. from time to time. determinc and to make provisions for research and for the advancement and dissemination of knowledge and skills;
(b) to impart and promote the study of science. engineering and technology, Bio and Medical Sciences. Dental Science, Pharmacy. Management. Howl and Hospitahty Managememt. Law and other Professional courses and also History. Culture. Commerce. Economics. Humanities, Phithsophy. Art etc. through in-campus oft-campus offshore-campus and stictlice centres or by conducting centres or by distant educational programmes etc.
(c) - to honor educational stalwarts and persons of academic eminence with the decoration of professor Emeritus.
(d) to grant. subject to such conditions as the University may determine. diplomas or certificates 10 . and conler degrecs or other academic distinctions on the basis of examinations, evaluation or any oher method of testing on persons. and to withdraw any such diplomas, certificates. degrees or other academic dismections for good and suflicient cause:
(c) wenfer honorary degrees or outher distinctions in the manner prescribed:
(1) we provide education and training including cortespondence and such wher courses, wo such persoms whare not members of the University. as it may determine:
(g) (o) institute Directorships Principalships. Professorships, Associate Prolessorships. Readership. Assistant Prolessorships. L.ectureships and wher teachong or academe posts required by the University and to make appointments tor the same:
(i) to create administrative. ministerial and other posts and to make. sppothoments thereto:
(i) to appontengage persons of emmence working in any uther University or ()ryanizatom permatiently or for a spectied period:
(j) to co operate collaborate or assocate with any other. University or Authority or Institution in India and abroad in such manner and for such purpose as the University may determme:
(k) 10 establish and maintain schools. centres. specialized laboratories or other units for research and instructions as are in the opinion of the University. necessary for the lurtherance of its objects:
(1) to institute and award fellowships. scholarships. studentships medals and prizes:
( m ) to establish and maintain and supervise residences, hosiels within the University and promote the health and general welfare activities for students and stall:
(n) eto make provisions for rescarch and consultancy and for that purpose to enter into such atrangements with other institutions or bodies as the University may decin necessary:
(0) to declare centre an institution, a department, or school. as the case may be, in accordance with the Statutes:
(p) to detemine standards for admission into the University, which may include examination, evaluation or any other method of testing:
(q) 10 demand and receive payment of fees and other charges:
(r) to make special arrangement in respect of women and wher disadvantaged students as the University inay consider desirable:
(s) to regulate and enforce discipline among the employees and students of the University and take such disciplinary measures in this regard as may be deemed necessary by the University.
(1) to make arrangements for promoting the health and general welfare of the employees of the University:
(a) to receive donations and to acquire hold. manage and dispose of any property. novable or immovable for the welfare of the University:
(v) to borrow mortgage or hypothecate with the approval of the Trust on the security of the property of the diniversity, money for the purposes of the University:
(w) to appoint either on contract or otherwise. visiting professors. emeritus professors. consultants: fellows. scholars. artists, course writers and such other persons. who may contributc to the advancement of the objects of the University.
(x) 10 organize and to undertake extra-mural studies and extension service:
(y) to do all such other acts and things as may be necessary. incidental or conducive to the ataimment of all or any of the objects of the University.

8: (1) Admission to the different academic programmes shall be made in accordance with the laws for the time being in force.
(2)The University shall ensure that the academic standards of the courses offered by the University are in accordance with the guidelines of the University Grants Commission and other statutory bodies as the case may be:
(3) The teacher-student ratio shall be in accordance-with the guidelines of the University Grants Commission and specific oouncil.

- 9. The University shall be open to persOns of either sex and of whatever race. inecd. caste or class. and it shall noi be lawful for the University to adopt or impose on tif person any tesi whatsocver of religious belief profession in order to entithe him to be admated theren as an offeer a teacher staff member, studenit or to hold any office therem or to graduate thereat:

Admission and standards

University open to all clusses and creeds

Officers of the Universty

Provided that reservation in the posts and recruitment of the employees and reservation of seats for admission in any course of study in the University for the students betonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Backward Classes of citizens shall be regulated by the order of the State Government issued from time to time.
10. The following shall be the officers of the University:-
(a) the Chancellor:
(b) the Pro-Chancellor:
(c) the Vice-Chancillar:
(d) the Pro-Vice-Chan ollor:
(c) Director/Principal
(f) the Registrar:
(g) the Controller of Ex, mimations
(h) the Dean of Students Welfare:
(i) the Dean of Faculty;
(j) the Chief Proctor:
(k) the Treasurer:
(l) the Finance Officer; and
(m) such other officers as may be declared by the Statute to be officers of the University:
11. (1) The Chancellor shall be appointed by the Trust for a period of three years.
(2) The Chancellor shall by virtue of his office be the Hewd of the University and shall constitute interim [:xecutive Council.
(3) The Chancelior may in writing under his hand addressed to the Trust resign his oflice.

She Vice
chancetion

The Pro chancellos years.
12. (1) The Pro-Chancellor shall be appointed by the Trust for a period of three
(2) The Pro-Chancellor shall assist the Chancellor in discharging his duties and ' preside at the convocation in his absence.
(3) The Pro-Chancellor may in writing under his hand addressed to the Chancellor resign his office.
13. (1) The Vice-Chancellor shall be appointed by the Chancellor in such manner as may be prescribed. for a period of three years.
(2) The Vice Chancellor shall be the principal executive and academic officer of the University and shall be the Chairman of the Academic Council and Planning Board of the University, and shall exercise general supervision and control over the affairs of the University and give effect to the decisions of the authorities of the University:
(3) The Vice-Chancellor may, if he is of the opinion that immediate action is necessary on any matter, exercise any power conferred on any authority of the University by or under this Act and shall convey to such authority the action taken by him on such matters;
. Provided that if the authority of the University or any person in the service of the University who is aggrieved by the action taken by the Vice-Chancellor under this sub-section may prefer an appeal to the Chancellor within one month from the date of communication of such decision. The Chancellor may confirm. modify or reverse action taken by the Vice-Chancellor.
(4) The Vice-Chancellor shall exercise such powers and perform such other functions as may be prescribed.
14. (f)the Pro-Vice-Chancellor shall be appointed by the Vice-Chancellor in such manner and shall exercise such powers and perform such furictions as may be prescribed.
(2) The Pro-vice-Chancellor appointed under sub-section (1) shall discharge. his dutics in addition to his duties as a professor.
(3) The Pro-Vice-Chancellor shall assist the Vice-Chancellor in discharging day to day duties as and when required by the Vice-Chancellor.
(4) The Pro-Vice-Chancellor shall get honorarium of such amount as may be determined by the Trust."
15. The Dircetor/Principal shall be appointed in such manner and shall exercise such powers and perform such functions as may be prescribed.
16. (1) The Registrar shall be appointed in such manner as may be prescribed.
(2)The Reisistrar shall have the power to cuter into agreements, sign documents and authenticate records on behalf of the University and shall exercise such other. powers and perform such other function as may be prescribed.
(3) The Registrar shall be the exofficio Secretary of the Executive Council and the Academic Council.
17. Every Dean shall be appointed in such manner and shall exercise such powers and perform such functions as may.be prescribed.
18. The Treasurer shall be appointed in such manner and-shall exercise such. powers and perform such function as may be prescribed.
19. (1) The Finance Officer sthall be appointed in such manner and shall exercise such powers and perform such functions as may be prescribed.
(2) The Finance Officer shalt, be the ex-officio Secretary of the Finance Comimitte.
20. Manner of appointment and powers and duties of the other officers of the University including the Dean of Students Welfare. Controller of Examination and Chief Proctor shall be such as may be prescribed.
21. The following shall be the authorities of the University:-
(a) the Court:
(b) the Executive Council:
(c) the Academic Council;
(d) the Finance Commitice
(e) the Planning Board.
(f) the Board of Facultic:s.
(g) the Admissions Committee.
(h) the Examination Committee and
(i) such other authorities as may be declared' by the 'Statutes to be authoritics of the University.
22. (1) The Constitution of the Court and the ierm of office of its members shall be such as may be prescribed.
(2) Subject to the provistions of this Act the Court shall have the following power and functions, namely:-
(a) to revict from time to time, the broad policies and programines of the University and suggest measures for the working. improvement and develupmen of the University;

The Pro-Vice Chancellor .

Director/Principal

The Registrar.

Dan of Faculity

The Treasurer

Finance Oflicer • :

Other officers

Authorities of the Universily
(b) 10 consider and pass resolutions on the Annual Repont and Annual Accounts of the University and Audit Report of such accounts;
(c) to advise the Chancellor in respect of any mater which may be referred fo at for advice:
(d) to perform such other functions as may be prescribe

The tixeculave Councal

The Academic Crameil

Commitec:

The Plawing Buad

Buard of tiaculty.
Admuston
Committee:
Faamination Commotere ind wher Authontica where Universis? Pamer to make rallutes
23. (1) The Executive Council shall be the principal executive body of the Universily
(2) The Constitution of the Executive Council, the term of office of its members and its powers and duties shall be such as may be prescribed.
24. (1) The Academic Council shall be the principal academic body of the University and shall subject to the provisions of the Statutes and the Ordinances, coordinate and exercise general supervision over the academic policies of the University.
(2) The Constitution of the Academic Council the term of office of its members and its powers and functions shall be such as may be prescribed.
25. (1) The Finance Committee shall be the principal financial body of the Unversity to take care of the finance natters.
(2) The constitution, powers and functions of the Finance Committee shall be such as may be prescribed.
26. (1) The Planning Board shall be the Principal Planning body of the University. The Board shall ensure that the infrastructure and academic support system meets the noms of the University Grants Commission or the respective Councils.
(2) The constitution. of the planning Board. term of office of is members and its powers and functions shall be such as may be prescribed.
27. The constitution powers and functions of the Boards of faculties the Admission Commitee the Examination Committee and of such other authorities of the University which may be declared by the Statutes to be authorities of the University shall be such as may be prescribed..
28. (1) The Executive Council shall make the statutes for carrying out purposes of this Act.
(2) Subject to the provisions of this Act the Statutes may provide for all or any of the following matters. namely:
(a) the constitution. powers and functions of the authorities of the University, as may be constituted from time to time:
(b) the appointment and continuance in office of the members of the said authorities. filling of vacancies of members and all other matters relating to those authorities lor which it may be necessary to provide:
(c) the appointment. powers and dutics of the off. it of the University and their emoluments:
(d) the appointment of teachers of the Unversity and wher academic and adminstrative staff and their emoluments;
(e) the appoinment of teachers and other academic and administratuc staff working in the University or Institution for specific period for undertaking a joint project:
(f) the conditions of service of employees including provisions for retircment benefits. insurance and provident fund. the manner of termination of service and disciplinary actions;
(g) the principals governing semonty of servae of employees.
(h) the procedure for setulement of disputes between employees or students and the University.
(i) the procedure for appeal to the Extcutive Council by any employee or sudems against the action of any officer or other authority of the University.
(j) the conferment of honorary degrees:
( $k$ ) the withdrawal of degree. diploma. centificate and other academic distinction:
(1) the institution of fellowships. scholarships, studentships, medals and prizes:
( m ) the mantenance of discipline among the students:
(b) the establishmem and abolition of Deparment. Centers and other constituted institutions/Colleges etc:
(o) the delegation of powers vested in the authorities or officers of the Unmersity: and .
(p) all oher matters. which may by this Act are to be or may be prescribed.
(3) The Execulive Council shall not make amend or repeal any Statute affecting the powers or constitution of any authority of the University until such authority has been given an opportunity of expressing an opinion in writing on the proposed changes, and any opinion so expressed shall be considered by the Executive Council.
(4) Notwithstanding anything contained in the foregoing sub-sections the (hanceller may direct the Liniversity to make provisions in the Statutes. in respect of ans: :btter specitied by him and if the Execulive Council is unable to implement such a $\therefore \therefore$. $1 \cdot 11$ within sixty days of its receipt the Chancellor may after considering the ci小us, If any. communicated by the Exccutive Council for its inability to comply with such direction. make or amend the Statutes accordingly as he may deem fit.
29. Subject to the provision of this Act and the Statutes. the Ordinances shall be made by the Executive Council which may provide for all or any of the following

Power to inake Ordinances
(a) the admission of students to the University and their enroment as such:
(b) the courses of study to be laid down for all degrees. diplomas and - cerificates of the University:
(c) the medium of instruction and examination:
(d) the award of degree diploma. certilicate and other academic distinction. the grabification lor the same and the means to be taken relating to the granting and obtaining of the same.
(e) the fees to be charged for courses of study in the University and for admission to the examinations, degrecs. diplomas and certificates of the Universily:
(f) the conditions for the award of fellowshups: scholarships studentships, -medals and prizes:
(g) the conduct of exammations. including the term of office and manner of appointment and the dutes of examinng bodies. examiners and moderators:
（h）the combtame of residence of the sudents of the Unversity：
（1i the sperat armanements，if any，whet may be mate for the randence．decoplene and teachny of women sitdens and preseribme af spectal courses of studus for them＂thin the Unversty：
（1）the appommen and emoluntems of emptaves other than those for Whom provesom has beco made a the Shatues：
（k）the extahbthment of $C$ enus if hathe Boards of Studies．
 and other Commances：
（t）the maner of on－apuation and colaboration with uther bmenstues

（mi）the creaton．compostuen and fenctions of－any other body whoh is consdered necessaty lor mprowe the atademic mikate of the Unmerits．
 and abulatms．
（0）such ohere kems and condituns of service of teathers and other academe stafi as are not preseribed by the Statutes：


Anman！Accanaly

ヅいいいい


30．（1）The annoal report of the University shall be prepared under the drection of the laecutise Counch and shall be submated to the Court on or after such date as may be prescribed and the 0 vat shath consider the report in ins amanh meeting．
（2）The Coum shath subnu the amual report to the Chancellor atong with is comments，if iny 31．（1）The annual accounts and bulance sheet of the University shatl be prepared under the directoons of the Bxecutive Council and shall，onee at hast every year and at intervals of not more than fitteen months，be audited by an experienced and qualified firm of Chartered Accountant of repute．
（2）A copy of the anmal accounts，logether with the audit report thereon，shall be submued to the Court and the Chancellor along whithe observatons of the texecutive Councel

32．（1）Devery emplover of the University shall be apponted engaged as per provisions of the Statutes
（2）Any dispute arisng between the University and any of the employees appointed substantively．shall be referted to the Executive Council who shatl decte the dispute after affording an opportunity to the employee within three montiss from tixe date of its reference．
（3）The aggreved emplovec may file an appal against the order of the fxecutive Counch to the Chancelfor．
（＋）Dny dispute in respect of ans employee engaged temporanly or on ad－hos or part ume or casual basis，shall be heard and decided finally by the head of the concemed department
（5）Any person agarieved by the order of the Vice－Chancellor may prefer an appeal to the Chancellor the decision of the Chancellor in such an appeal stath be linal and no suit shall he in any courl in respeet of the maters decided by the Chancellor．

33．（1）Any student or candidate for an examination，whose name has been removed from the rolls of the University by the orders or resolution of the Academic Council．Proctorial Board or Controter of Fxammations as the case may be．and who has been debaned from appearing at the exammatums for more than one year，may whin ten davs of the date of recept of such orde ：t copy of such resolution by him m！whene apeal to the vice－Chanceller of rese the decsion of the aforeand atanomice or the concerned Commotee an the case may be

121 dny dectsion taken by the Viet－Chancelfor shat be final．
34. The University may constitute for the benefit of its employees such penstonor welfare schemes or providen fund or provide such insurance schemes as i may deem fit in such manner and subject to such condtions as may be decided by the Execuive Council.
35. If any question arises as to whether any person has been duly nominated or appomed as or is entited to be a member of any authority or oher body of the Universty. the mater shall be refered to the Chancellor whose decision thereon shal bo final.
36. Where any authonty of the University is given power under this Act or the Statutes to appoint Committees, such Committees shall as otherwise provided, consist of the members of the authority concerned and of such other persons as the authority in cach case may thonk hit
37. All vacancies among the members (other than ex-officio members) of any authority or other body of the University shall be filled as soon as may be convenient by the person or body who appointed. nommated or co-opted the members whose plate has become vacan for the remanne term for which he has been appointed or co opted.
38. No act or procecdngs of any autherity of the University shall be invalid merely by reason of the existence of a vacancy or vacancies among its members
39. A copy of any receipt. application, notice proceeding. resolution of any authority or Committee of the University or other documents in possession of the University. if certified by the Registrar. shall be received as prima facie evidence of the such receipt. applications. notice, order proceeding or resolution, documents or the existence of entry in the register and shall be admitted as evidence of the matters and transaction therein where the original would. if produced have been admissible in evidence.
40. (1) I:very Statute or Ordinance made under this Act shall be made a wailable in wnung
(2) tach new Statute or Ordmances made under this Act shall be enforced as sem as it is made by the competent authority. :
41. (1)The Trust shall establish a permanem endowment fund of at least rupees ten crore
(2) The University shall have the power to invest the permanent endowment fund in such manner as may be prescribed.
(3)The University may transfer any amount from the general fund or the development lund to the pemanent endowment find.
(4) Any amount exceeding the minimum amount specified in sub-section (1) may be withdrawn from the pemanent endowment fund by the University for the purposes of development of the University.
42. (1) The Universty shall establish a general fund to which the following amoun shall be credned. namely;
(a) all fees which may be charged by the University:
(b) all sums receved from any other source:
(c) all contrhutions made by the Trust: and
(d) all contributions made is this behalf by any other person or body which are not prohibited by any. law for the time being in force.
(2) The monevs credited to the general fund shall be applied to meet all the recurring expenditures of the Unversity.

Fund

Fimatiolal
(andillon

Fいい

Power ed State (jowimment 0 calll hor infomationt and records

- ypenditure of its I "icurals dummy



## 

 the l. niversmy be the Stathe (invernment43. (1) The Universty shall also establish development fund to which the following money shall be credited namely:
(a) development fees. wheh may be charged from students:
(b) all sums receved from other sources for the purpose of the development of the University:
(c) all contributions made by the Trust:
(d) all contributions made in this behalf by any other person or body which are not prohibited by any law for the time beng enforec: and
(c) all incomes received from the permanent endowmen fund.
(2) the money credited to the development liund from time to time stall be utilized for the developmen of the University
44. The funds established under sections 41.42 and 43 shall subjeet to generat supervision and control of the Court be regulated and mataned in such manmer as may be pescoribed.
45. The University shall not be cligible for any grant in aid or any, financial assistance from the Suate Govemment or any other body or Corporation owned and controlled by the State Government.
46. The fees charged for different academic programmes shall be in accordance with laws for the tume being in force.
47. (1) It shall be the duty of the University or any authority or officer of the University to lurnish such mformation or records relating to the administration or finance and other affars of the University as the State Govemment may call for.
(2) The State (iovemment, if it is of the view that there is a violation of the Act or the Statules or Ordinances made hereunder may issue such directions to the University under section 51 as it may deem necessary.
48. (1) If the University proposes its dissolution in accordance with the law goveming th constitutions or incorporation. If shall gwe at least six month writu: nones to the State Goverment.
(2) On receipt of notice referred to in sub-section (1) the State (jowernes.ant shall make such arrangement for administration of the University from the dite at dissolution of the university and until the last batch of students in regular courses of studies of the University complete their courses or studes in such mamer as may be prescribed.

49 (1)The expenditure for admuistration of the University during the taking wer the fablities of the University under secton tS shall be met out of the permanemt endowment, the general lund. and the development lund.
(2) If the lunds referted to sub-section (1) are not sufficient to mee the expenditure of the University during the laking over the liabilities of the University. such expenditure may be met by disposing of the propertes or assets of the unversty by the State (ioverment.
50. (1)Where the State Goverment recenos a complatin that Une Usity is non lunctoning in accordance with the provisions of this Act. it shatl require the University to show catuse within such ume. which shall not be less than two mombe refermg a copy of the complame an whe the Unversily shoud not be dereognized.
(2) II: upon receipt of the reply of the University on the notice given under subscotion (1). the State (jovemment is satishet that a promaticio case at masmangement or volation of the provisions of this Aot on the functonng of the Umversity is made out. a shall order such empury as it demeneressury.
$\therefore$ : (3) For the purpose of an inquiry under sub--section (2), the State Government shall by notification, appoint an officer or authority as the enquiring authority to enquire into the allegations of violation of theyrovisions of this Act.
(4) Every inquiring authority appointed under şub-section (3) shall while performing its functions under this Act have all the powers of Civil Court under the code of Civil Procedure, 1908 trying a suit and in particular in respect of the following matters, namely:-
(a) summoning and enforcing the attendance of any witness and examining him on oath:
(b) requiring the discovery and production of any document:
(c) requisitioning any public record or copy thereof from any office
(d) receiving evidence on affidavits;
(e) any other matter which may be prescribed.
(5) If, upon receipt of the inquiry report, the State Government is satisfied that the University has violated any provision of this Act, it shall direct the University to make necessary improvement and suggest for proper implementation of the provision of this Act.
(6) If it is observed that the University is violating the Act continuously for three times the State Government may derecognize the University with prior approval of the University Grants Commission.
(7) During the period of the management of the University under sub- section (6). the State Government may utilize the permanent endowment, fund, the general funds or the development fund for the purpose of the Management of the affairs of the University. If the funds of the University are not sufficient to meet the requisite expenditure of the University, the State Govemment may dispose off the assets or the properties of the University to meet the said expenses.
(8) Every notification under sub-section (6), shall be laid before both houses of the State Legislature before implementation.
51. The State Government may issue such directions time to time to the University on policy matters not inconsistent with the provisions of this Act as it may deem necessary, Such directions shall be complied with by the University.
$\because$ : 52. All assets and properties including permanent endowment fund, general fund or any other fund and also the liabilities of the University will belong to the Trust in case of dissolution of the University under any clause mentioned herein above in the Act.
53. (1) The State Government may for the purposes of removing any difficulties, particularly in relation to the transition from the provisions of the Uttar Pradesth State Universities Act, 1973 to the provisions of this Act, direct that the provisions of this Act shall during such period as may be specified in the order, have effect subject to such adaptations, whether by way of modification, addition or omissión as it may deem necessary or expedient;
$\because$ Provided that no such order shall be made after two years from the date of cominencerient of this Act.
(2) Every order made under subsection (1) shall be laid before both Houses of the State Legislature as soon as may be after it is made.
(3) No order made under sub-section (1) shall he called in question in any court.on the ground that no difficulty as is referred to in that sub-section existed or was e required to be removed.

## STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

With a view to encouraging private sector to participate in the field of higher education; it has been decided to establish and incorporate a feaching University at Gajraula in district Jyotiba Phule Nagar in Uttar Pradesh by the name of Shri Venkateshwara University Uttar Pradesh sponsored by Shree Banke Bihari Educational and welfare.Trust. 208 A. Saket. Merrut registered under the Indian Trust Act, 1882 (Act no. 2 of 1882), so as to provide to the students and teachers the necessary atmosphere and facilities for the promotion of innovations leading to proper structuring of courses: new methods of teaching and leanning and integral development of personality.

The Shri Venkateshwara University Uttar Pradesh Bill; 2010 is introduced accordingly.

By order.
K.K: SHARMA.

Pramukh Sarchin

पी॰एस०यू०पी०, ए० पी० 639 राजापत्र (हि०)-2010-(1313)--599 प्रतियां-(कम्प्यूटर / टी०/आफसेट़)।
' पी०एस०यूू०पी० ए० पी० 102 सा० विधायी-2010-(1314)-850 प्रंतियां-(कम्प्यूटर्ट/टी०/आफसेट)।

